

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उ०प्र०, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,
उ०प्र०।

पत्रांक सं० एस०पी०एम०यू०/एन०सी०डी०/एन०एम०एच०पी०/2018-19/6856-75 दिनांक 24/9/18
विषय : राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में विभिन्न गतिविधियों हेतु
धनराशि आवंटन एवं दिशा-निर्देश के संबंध में।

महोदय/महोदया,

अवगत कराना है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा कार्ययोजना वर्ष 2018-19 में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम हेतु रु० 7018.64 लाख की धनराशि का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

2. अतः उक्त के क्रम में निम्नलिखित तालिका के अनुसार जनपदों को पूर्व में प्रेषित 04 माह की धनराशि को समायोजित करते हुए शेष धनराशि निम्नलिखित तालिका के अनुसार व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त धनराशि का व्यय जनपद स्तर पर उपलब्ध धनराशि से किया जायेगा एवं डैप के सापेक्ष व्यय विवरण प्रेषित किया जायेगा-

National Mental Health Programme (NMHP)

Amount in Lacs

S.no	Districts Name	Targeted interventions at community level Activities & interventions targeted at schools, colleges, workplaces, out of school adolescents, urban slums and suicide prevention. @ Rs. 9.00 lacs	District counselling centre (DCC) and crisis helpline outsourced to psychology department/ NGO per year @ 3.00 Lacs	Equipments	Operational expenses of the district centre : rent, telephone expenses, website etc. @ 0.10 Lacs	Miscellaneous/Travel/Contingency under NMHP	Translation of IEC material and distribution	Awareness generation activities in the community, school, workplaces with community involvement	Durges @ 10.00 Lacs	
FMR CODE		2.3.2.3	3.2.5.3	6.1.1.20.a	16.1		11.19.1	11.19.2	6.2.16.1	
1	Agra	5.00	3.00	3.00	0.07	3.50	1.33	1.33	6.67	23.90
2	Aligarh	5.00	3.00	3.00	0.07	3.50	1.33	1.33	6.67	23.90
3	Allahabad	5.00	3.00	3.00	0.07	3.50	1.33	1.33	6.67	23.90
4	Ambedkar Nagar	5.00	3.00	3.00	0.07	3.50	1.33	1.33	6.67	23.90
5	Amethi	5.00	3.00	3.00	0.07	3.50	1.33	1.33	6.67	23.90
6	Amroha	9.00	3.00	1.00	0.10	0.50	2.00	2.00	10.00	27.60
7	Auraiya	9.00	3.00	1.00	0.10	0.50	2.00	2.00	10.00	27.60
8	Azamgarh	9.00	3.00	1.00	0.10	0.50	2.00	2.00	10.00	27.60
9	Baghpat	9.00	3.00	1.00	0.10	0.50	2.00	2.00	10.00	27.60
10	Bahraich	5.00	3.00	3.00	0.07	3.50	1.33	1.33	6.67	23.90
11	Ballia	9.00	3.00	1.00	0.10	0.50	2.00	2.00	10.00	27.60

S.no	Districts Name	Targeted interventions at community level Activities & interventions targeted at schools, colleges, workplaces, out of school adolescents, urban slums and suicide prevention. @ Rs. 9.00 lacs	District counselling centre (DCC) and crisis helpline outsourced to psychology department/ NGO per year @ 3.00 Lacs	Equipments	Operational expenses of the district centre : rent, telephone expenses, website etc. @ 0.10 Lacs	Miscellaneous/Travel/Contingency under NMHP	Translation of IEC material and distribution	Awareness generation activities in the community, school, workplaces with community involvement	Durges @ 10.00 Lacs	
FMR CODE		2.3.2.3	3.2.5.3	6.1.1.20.a	16.1		11.19.1	11.19.2	6.2.16.1	
12	Balrampur	5.00	3.00	3.00	0.07	3.50	1.33	1.33	6.67	23.90
13	Banda	5.00	3.00	3.00	0.07	3.50	1.33	1.33	6.67	23.90
14	Barabanki	5.00	3.00	3.00	0.07	3.50	1.33	1.33	6.67	23.90
15	Bareilly	5.00	3.00	3.00	0.07	3.50	1.33	1.33	6.67	23.90
16	Basti	5.00	3.00	3.00	0.07	3.50	1.33	1.33	6.67	23.90
17	Bijnor	9.00	3.00	1.00	0.10	0.50	2.00	2.00	10.00	27.60
18	Budaun	5.00	3.00	3.00	0.07	3.50	1.33	1.33	6.67	23.90
19	Bulandshahar	9.00	3.00	1.00	0.10	0.50	2.00	2.00	10.00	27.60
20	Chandauli	9.00	3.00	1.00	0.10	0.50	2.00	2.00	10.00	27.60
21	Chitrakoot	5.00	3.00	3.00	0.07	3.50	1.33	1.33	6.67	23.90
22	Deoria	5.00	3.00	3.00	0.07	3.50	1.33	1.33	6.67	23.90
23	Etah	9.00	3.00	1.00	0.10	0.50	2.00	2.00	10.00	27.60
24	Etawah	5.00	3.00	3.00	0.07	3.50	1.33	1.33	6.67	23.90
25	Faizabad	5.00	3.00	3.00	0.07	3.50	1.33	1.33	6.67	23.90
26	Farrukhabad	9.00	3.00	1.00	0.10	0.50	2.00	2.00	10.00	27.60
27	Fatehpur	5.00	3.00	3.00	0.07	3.50	1.33	1.33	6.67	23.90
28	Firozabad	5.00	3.00	3.00	0.07	3.50	1.33	1.33	6.67	23.90
29	G.B. Nagar	5.00	3.00	3.00	0.07	3.50	1.33	1.33	6.67	23.90
30	Ghaziabad	5.00	3.00	3.00	0.07	3.50	1.33	1.33	6.67	23.90
31	Ghazipur	9.00	3.00	1.00	0.10	0.50	2.00	2.00	10.00	27.60
32	Gonda	5.00	3.00	3.00	0.07	3.50	1.33	1.33	6.67	23.90
33	Gorakhpur	5.00	3.00	3.00	0.07	3.50	1.33	1.33	6.67	23.90
34	Hamirpur	5.00	3.00	3.00	0.07	3.50	1.33	1.33	6.67	23.90
35	Hapur	9.00	3.00	1.00	0.10	0.50	2.00	2.00	10.00	27.60
36	Hardoi	5.00	3.00	3.00	0.07	3.50	1.33	1.33	6.67	23.90
37	Hathras	5.00	3.00	3.00	0.07	3.50	1.33	1.33	6.67	23.90
38	Jalaun	5.00	3.00	3.00	0.07	3.50	1.33	1.33	6.67	23.90
39	Jaunpur	5.00	3.00	3.00	0.07	3.50	1.33	1.33	6.67	23.90
40	Jhansi	5.00	3.00	3.00	0.07	3.50	1.33	1.33	6.67	23.90
41	Kannauj	9.00	3.00	1.00	0.10	0.50	2.00	2.00	10.00	27.60
42	Kanpur Dehat	9.00	3.00	1.00	0.10	0.50	2.00	2.00	10.00	27.60

S.no	Districts Name	Targeted interventions at community level Activities & interventions targeted at schools, colleges, workplaces, out of school adolescents, urban slums and suicide prevention. @ Rs. 9.00 lacs	District counselling centre (DCC) and crisis helpline outsourced to psychology department/ NGO per year @ 3.00 Lacs	Equipments	Operational expenses of the district centre : rent, telephone expenses, website etc. @ 0.10 Lacs	Miscellaneous/Travel/Contingency under NMHP	Translation of IEC material and distribution	Awareness generation activities in the community, school, workplaces with community involvement	Durges @ 10.00 Lacs	
FMR CODE		2.3.2.3	3.2.5.3	6.1.1.20.a	16.1		11.19.1	11.19.2	6.2.16.1	
43	Kanpur Nagar	5.00	3.00	3.00	0.07	3.50	1.33	1.33	6.67	23.90
44	Kasganj	9.00	3.00	1.00	0.10	0.50	2.00	2.00	10.00	27.60
45	Kaushambi	9.00	3.00	1.00	0.10	0.50	2.00	2.00	10.00	27.60
46	Kushinagar	9.00	3.00	1.00	0.10	0.50	2.00	2.00	10.00	27.60
47	Lakhimpur-Kheri	5.00	3.00	3.00	0.07	3.50	1.33	1.33	6.67	23.90
48	Lalitpur	9.00	3.00	1.00	0.10	0.50	2.00	2.00	10.00	27.60
49	Lucknow	5.00	3.00	3.00	0.07	3.50	1.33	1.33	6.67	23.90
50	Maharajan	9.00	3.00	1.00	0.10	0.50	2.00	2.00	10.00	27.60
51	Mahoba	5.00	3.00	3.00	0.07	3.50	1.33	1.33	6.67	23.90
52	Mainpuri	9.00	3.00	1.00	0.10	0.50	2.00	2.00	10.00	27.60
53	Mathura	5.00	3.00	3.00	0.07	3.50	1.33	1.33	6.67	23.90
54	Mau	9.00	3.00	1.00	0.10	0.50	2.00	2.00	10.00	27.60
55	Meerut	5.00	3.00	3.00	0.07	3.50	1.33	1.33	6.67	23.90
56	Mirzapur	5.00	3.00	3.00	0.07	3.50	1.33	1.33	6.67	23.90
57	Moradabad	5.00	3.00	3.00	0.07	3.50	1.33	1.33	6.67	23.90
58	Muzaffarnagar	5.00	3.00	3.00	0.07	3.50	1.33	1.33	6.67	23.90
59	Pilibhit	9.00	3.00	1.00	0.10	0.50	2.00	2.00	10.00	27.60
60	Pratapgarh	5.00	3.00	3.00	0.07	3.50	1.33	1.33	6.67	23.90
61	Raebareli	5.00	3.00	3.00	0.07	3.50	1.33	1.33	6.67	23.90
62	Rampur	9.00	3.00	1.00	0.10	0.50	2.00	2.00	10.00	27.60
63	Saharanpur	5.00	3.00	3.00	0.07	3.50	1.33	1.33	6.67	23.90
64	Sambhal	9.00	3.00	1.00	0.10	0.50	2.00	2.00	10.00	27.60
65	Sant Kabir Nagar	9.00	3.00	1.00	0.10	0.50	2.00	2.00	10.00	27.60
66	SRD Nagar, (Bhadohi)	9.00	3.00	1.00	0.10	0.50	2.00	2.00	10.00	27.60
67	Shahjahanpur	5.00	3.00	3.00	0.07	3.50	1.33	1.33	6.67	23.90
68	Shamli	9.00	3.00	1.00	0.10	0.50	2.00	2.00	10.00	27.60
69	Shrawasti	9.00	3.00	1.00	0.10	0.50	2.00	2.00	10.00	27.60
70	Siddhartha Nagar	9.00	3.00	1.00	0.10	0.50	2.00	2.00	10.00	27.60
71	Sitapur	5.00	3.00	3.00	0.07	3.50	1.33	1.33	6.67	23.90

S.no	Districts Name	Targeted interventions at community level Activities & interventions targeted at schools, colleges, workplaces, out of school adolescents, urban slums and suicide prevention. @ Rs. 9.00 lacs	District counselling centre (DCC) and crisis helpline outsourced to psychology department/ NGO per year @ 3.00 Lacs	Equipments	Operational expenses of the district centre : rent, telephone expenses, website etc. @ 0.10 Lacs	Miscellaneous/Travel/Contingency under NMHP	Translation of IEC material and distribution	Awareness generation activities in the community, school, workplaces with community involvement	Durges @ 10.00 Lacs	
	FMR CODE	2.3.2.3	3.2.5.3	6.1.1.20.a	16.1		11.19.1	11.19.2	6.2.16.1	
72	Sonbhadra	9.00	3.00	1.00	0.10	0.50	2.00	2.00	10.00	27.60
73	Sultanpur	5.00	3.00	3.00	0.07	3.50	1.33	1.33	6.67	23.90
74	Unnao	5.00	3.00	3.00	0.07	3.50	1.33	1.33	6.67	23.90
75	Varanasi	5.00	3.00	3.00	0.07	3.50	1.33	1.33	6.67	23.90
	Total	495.00	225.00	165.00	6.00	172.50	120.00	120.00	600.00	1903.50

Salary Distribution of Districts for 2018-19

Amount in Laes

Sl. No.	Name of Districts	75 Full Time Psychiatrist @ Rs 120000 PM for 12 Month	14 Clinical Psychologist @ Rs. 66150/PM & 61 Clinical Psychologist @ Rs. 60000/PM for 12 Month	300 Community Level Psychologist @ Rs. 35000 PM for 12 Month	14 Psychiatric Social Worker @ Rs. 55125/PM & 63 Psychiatric Social Worker @ Rs. 50000 /PM for 12 Month	14 Psychiatric Nurse @ Rs. 44100/PM & 61 Psychiatric Nurse @ Rs. 40000 /PM for 12 Month	14 Community Nurse @ Rs. 27563/PM & 61 Community Nurse @ Rs. 25000/PM for 12 Month	75 Monitoring & Evaluation Officer @ Rs. 35000 /PM for 12 Month	75 Case Registry Assistant @ Rs. 15000 /PM for 12 Month	75 Ward Assistant @ Rs. 15000 PM for 12 Month	Total
	NEW FMR CODE	8.1.3.2	8.1.13.2		8.1.13.8	8.1.1.3.a	8.1.1.3.c	16.8.2.3.2	8.1.15.7	8.1.16.7	
1	Agra	14.40	7.20	16.80	6.00	4.80	3.00	4.20	1.80	1.80	60.00
2	Aligarh	14.40	7.20	16.80	6.00	4.80	3.00	4.20	1.80	1.80	60.00
3	Allahabad	14.40	7.20	16.80	6.00	4.80	3.00	4.20	1.80	1.80	60.00
4	Ambedkar Nagar	14.40	7.20	16.80	6.00	4.80	3.00	4.20	1.80	1.80	60.00
5	Amethi	14.40	7.20	16.80	6.00	4.80	3.00	4.20	1.80	1.80	60.00
6	Amroha	14.40	7.20	16.80	6.00	4.80	3.00	4.20	1.80	1.80	60.00
7	Auraiya	14.40	7.20	16.80	6.00	4.80	3.00	4.20	1.80	1.80	60.00
8	Azamgarh	14.40	7.20	16.80	6.00	4.80	3.00	4.20	1.80	1.80	60.00
9	Baghpat	14.40	7.20	16.80	6.00	4.80	3.00	4.20	1.80	1.80	60.00
10	Bahraich	14.40	7.94	16.80	6.62	5.29	3.31	4.20	1.80	1.80	62.15
11	Ballia	14.40	7.20	16.80	6.00	4.80	3.00	4.20	1.80	1.80	60.00
12	Balrampur	14.40	7.20	16.80	6.00	4.80	3.00	4.20	1.80	1.80	60.00
13	Banda	14.40	7.94	16.80	6.62	5.29	3.31	4.20	1.80	1.80	62.15
14	Barabanki	14.40	7.94	16.80	6.62	5.29	3.31	4.20	1.80	1.80	62.15
15	Bareilly	14.40	7.20	16.80	6.00	4.80	3.00	4.20	1.80	1.80	60.00
16	Basti	14.40	7.20	16.80	6.00	4.80	3.00	4.20	1.80	1.80	60.00
17	Bijnor	14.40	7.20	16.80	6.00	4.80	3.00	4.20	1.80	1.80	60.00

No.	Name of Districts	75 Full Time Psychiatrist @ Rs 120000 /PM for 12 Month	14 Clinical Psychologist @ Rs. 66150/PM & 61 Clinical Psychologist @ Rs. 60000/PM for 12 Month	300 Community Level Psychologist @ Rs. 35000 /PM for 12 Month	14 Psychiatric Social Worker @ Rs. 55125/PM & 63 Psychiatric Social Worker @ Rs. 50000 /PM for 12 Month	14 Psychiatric Nurse @ Rs. 44100/PM & 61 Psychiatric Nurse @ Rs. 40000 /PM for 12 Month	14 Community Nurse @ Rs. 27563/PM & 61 Community Nurse @ Rs. 25000/PM for 12 Month	75 Monitoring & Evaluation Officer @ Rs. 35000 /PM for 12 Month	75 Case Registry Assistant @ Rs. 15000 /PM for 12 Month	75 Ward Assistant @ Rs. 15000 /PM for 12 Month	Total
NEW FMR CODE		8.1.3.2	8.1.13.2		8.1.13.8	8.1.13.a	8.1.13.c	16.8.2.3.2	8.1.15.7	8.1.16.7	
18	Budaun	14.40	7.20	16.80	6.00	4.80	3.00	4.20	1.80	1.80	60.00
19	Bulandshahr	14.40	7.20	16.80	6.00	4.80	3.00	4.20	1.80	1.80	60.00
20	Chandauli	14.40	7.20	16.80	6.00	4.80	3.00	4.20	1.80	1.80	60.00
21	Chitrakoot	14.40	7.20	16.80	6.00	4.80	3.00	4.20	1.80	1.80	60.00
22	Deoria	14.40	7.20	16.80	6.00	4.80	3.00	4.20	1.80	1.80	60.00
23	Etah	14.40	7.20	16.80	6.00	4.80	3.00	4.20	1.80	1.80	60.00
24	Etawah	14.40	7.94	16.80	6.62	5.29	3.31	4.20	1.80	1.80	62.15
25	Faizabad	14.40	7.94	16.80	6.62	5.29	3.31	4.20	1.80	1.80	62.15
26	Farrukhabad	14.40	7.20	16.80	6.00	4.80	3.00	4.20	1.80	1.80	60.00
27	Fatehpur	14.40	7.94	16.80	6.62	5.29	3.31	4.20	1.80	1.80	62.15
28	Firozabad	14.40	7.20	16.80	6.00	4.80	3.00	4.20	1.80	1.80	60.00
29	G.B. Nagar	14.40	7.20	16.80	6.00	4.80	3.00	4.20	1.80	1.80	60.00
30	Ghaziabad	14.40	7.20	16.80	6.00	4.80	3.00	4.20	1.80	1.80	60.00
31	Ghazipur	14.40	7.20	16.80	6.00	4.80	3.00	4.20	1.80	1.80	60.00
32	Gonda	14.40	7.20	16.80	6.00	4.80	3.00	4.20	1.80	1.80	60.00
33	Gorakhpur	14.40	7.20	16.80	6.00	4.80	3.00	4.20	1.80	1.80	60.00
34	Hamirpur	14.40	7.20	16.80	6.00	4.80	3.00	4.20	1.80	1.80	60.00
35	Hapur	14.40	7.20	16.80	6.00	4.80	3.00	4.20	1.80	1.80	60.00
36	Hardoi	14.40	7.94	16.80	6.62	5.29	3.31	4.20	1.80	1.80	62.15
37	Hathras	14.40	7.20	16.80	6.00	4.80	3.00	4.20	1.80	1.80	60.00
38	Jalaun	14.40	7.20	16.80	6.00	4.80	3.00	4.20	1.80	1.80	60.00
39	Jaunpur	14.40	7.20	16.80	6.00	4.80	3.00	4.20	1.80	1.80	60.00
40	Jhansi	14.40	7.20	16.80	6.00	4.80	3.00	4.20	1.80	1.80	60.00
41	Kannauj	14.40	7.20	16.80	6.00	4.80	3.00	4.20	1.80	1.80	60.00
42	Kanpur Dehat	14.40	7.20	16.80	6.00	4.80	3.00	4.20	1.80	1.80	60.00
43	Kanpur Nagar	14.40	7.94	16.80	6.62	5.29	3.31	4.20	1.80	1.80	62.15
44	Kasganj	14.40	7.20	16.80	6.00	4.80	3.00	4.20	1.80	1.80	60.00
45	Kaushambi	14.40	7.20	16.80	6.00	4.80	3.00	4.20	1.80	1.80	60.00
46	Kushinagar	14.40	7.20	16.80	6.00	4.80	3.00	4.20	1.80	1.80	60.00
47	Lakhimpur-Kheri	14.40	7.20	16.80	6.00	4.80	3.00	4.20	1.80	1.80	60.00
48	Lalitpur	14.40	7.20	16.80	6.00	4.80	3.00	4.20	1.80	1.80	60.00
49	Lucknow	14.40	7.20	16.80	6.00	4.80	3.00	4.20	1.80	1.80	60.00
50	Maharajanpur	14.40	7.20	16.80	6.00	4.80	3.00	4.20	1.80	1.80	60.00
51	Mahoba	14.40	7.20	16.80	6.00	4.80	3.00	4.20	1.80	1.80	60.00
52	Mainpuri	14.40	7.20	16.80	6.00	4.80	3.00	4.20	1.80	1.80	60.00

Sl. No.	Name of Districts	75 Full Time Psychiatrist @ Rs. 120000 /PM for 12 Month	14 Clinical Psychologist @ Rs. 66150/PM & 61 Clinical Psychologist @ Rs. 60000/PM for 12 Month	300 Community Level Psychologist @ Rs. 35000 /PM for 12 Month	14 Psychiatric Social Worker @ Rs. 55125/PM & 63 Psychiatric Social Worker @ Rs. 50000 /PM for 12 Month	14 Psychiatric Nurse @ Rs. 44100/PM & 61 Psychiatric Nurse @ Rs. 40000 /PM for 12 Month	14 Community Nurse @ Rs. 27563/PM & 61 Community Nurse @ Rs. 25000/PM for 12 Month	75 Monitoring & Evaluation Officer @ Rs. 35000 /PM for 12 Month	75 Case Registry Assistant @ Rs. 15000 /PM for 12 Month	75 Ward Assistant @ Rs. 15000 /PM for 12 Month	Total
NEW FMR CODE		8.1.3.2	8.1.13.2		8.1.13.8	8.1.1.3.a	8.1.1.3.c	16.8.2.3.2	8.1.15.7	8.1.16.7	
53	Mathura	14.40	7.20	16.80	6.00	4.80	3.00	4.20	1.80	1.80	60.00
54	Mau	14.40	7.20	16.80	6.00	4.80	3.00	4.20	1.80	1.80	60.00
55	Meerut	14.40	7.20	16.80	6.00	4.80	3.00	4.20	1.80	1.80	60.00
56	Mirzapur	14.40	7.94	16.80	6.62	5.29	3.31	4.20	1.80	1.80	62.15
57	Moradabad	14.40	7.94	16.80	6.62	5.29	3.31	4.20	1.80	1.80	62.15
58	Muzaffarnagar	14.40	7.20	16.80	6.00	4.80	3.00	4.20	1.80	1.80	60.00
59	Pilibhit	14.40	7.20	16.80	6.00	4.80	3.00	4.20	1.80	1.80	60.00
60	Pratapgarh	14.40	7.20	16.80	6.00	4.80	3.00	4.20	1.80	1.80	60.00
61	Raebareli	14.40	7.94	16.80	6.62	5.29	3.31	4.20	1.80	1.80	62.15
62	Rampur	14.40	7.20	16.80	6.00	4.80	3.00	4.20	1.80	1.80	60.00
63	Saharanpur	14.40	7.20	16.80	6.00	4.80	3.00	4.20	1.80	1.80	60.00
64	Sambhal	14.40	7.20	16.80	6.00	4.80	3.00	4.20	1.80	1.80	60.00
65	Sant Kabir Nagar	14.40	7.20	16.80	6.00	4.80	3.00	4.20	1.80	1.80	60.00
66	SRD Nagar (Bhadohi)	14.40	7.20	16.80	6.00	4.80	3.00	4.20	1.80	1.80	60.00
67	Shahjahanpur	14.40	7.20	16.80	6.00	4.80	3.00	4.20	1.80	1.80	60.00
68	Shamli	14.40	7.20	16.80	6.00	4.80	3.00	4.20	1.80	1.80	60.00
69	Shrawasti	14.40	7.20	16.80	6.00	4.80	3.00	4.20	1.80	1.80	60.00
70	Siddhartha Nagar	14.40	7.20	16.80	6.00	4.80	3.00	4.20	1.80	1.80	60.00
71	Sitapur	14.40	7.94	16.80	6.62	5.29	3.31	4.20	1.80	1.80	62.15
72	Sonbhadra	14.40	7.20	16.80	6.00	4.80	3.00	4.20	1.80	1.80	60.00
73	Sultanpur	14.40	7.94	16.80	6.62	5.29	3.31	4.20	1.80	1.80	62.15
74	Unnao	14.40	7.94	16.80	6.62	5.29	3.31	4.20	1.80	1.80	62.15
75	Varanasi	14.40	7.20	16.80	6.00	4.80	3.00	4.20	1.80	1.80	60.00
Total		1080.00	550.33	1260.00	458.61	366.89	229.31	315.00	135.00	135.00	4530.14

FMR-2.3.2.3 & 3.2.5.3 -Targeted interventions at community level Activities & interventions targeted at schools, colleges, workplaces, out of school adolescents, urban slums and suicide prevention. (Old FMR J.1.3) पर अवमुक्त धनराशि हेतु दिशा-निर्देश निम्नवत् हैं:-

- (अ) मुख्य चिकित्सा अधिकारी जनपद की 08 सी0एच0सी0 का चिन्हीकरण करते हुए प्रत्येक सी0एच0सी0 पर प्रति माह 01 शिविर का आयोजन करवाना सुनिश्चित करेंगे, अर्थात् 01 सी0एच0सी0 में वर्ष भर में 12 शिविर आयोजित करने का प्राविधान है, जिस हेतु प्रति शिविर रू0-5,000.00(रू0 पाँच हजार) की धनराशि का प्राविधान किया गया है, जिससे शिविर के आयोजन पूर्व चिकित्सक के आगमन की सूचना का प्रचार-प्रसार एवं शिविर के दिन मरीजों के लिये समुचित बैठने एवं जल इत्यादि की व्यवस्था की जायेगी। अतः मुख्य चिकित्सा अधिकारी रू0-5,000×12= 60,000 (रूपया साठ हजार) चिन्हित सी0एच0सी0 के प्रभारी को हस्तान्तरित करना सुनिश्चित करें, जिससे कार्यक्रम हित में धनराशि का सदुपयोग किया जा सके।

- (ब) जिला स्तर पर जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जाना है, जिसमें मानसिक मन्दित बच्चों को मानसिक विकलौंगता प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने हेतु रूपया 30,000 प्रति शिविर की धनराशि का प्राविधान किया गया है। इस धन का उपयोग शिविर से पूर्व प्रचार-प्रसार एवं शिविर के दिन बैठने, पीने हेतु जल इत्यादि अन्य गतिविधियों में नियमानुसार किया जाना है। मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 महोदय द्वारा दिव्यांगों को प्रमाण-पत्र समयबद्ध निर्गत किये जाने की अपेक्षा की गयी है, जिसमें किसी भी स्तर पर शिथिलता नहीं होनी चाहिए।
- (स) प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 01 विशाल जागरूकता शिविर का आयोजन किया जायेगा, जिसमें जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जायेगी। इस शिविर के लिये रू0-1.00 लाख की धनराशि का प्राविधान किया जाता है, जिस हेतु दिशा-निर्देश निम्नवत् हैं :-
1. 07, अप्रैल (विश्व स्वास्थ्य दिवस), 10 अक्टूबर (विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस), 21, सितम्बर (विश्व अल्जाइमर दिवस) अथवा अन्य महत्वपूर्ण दिवसों के अवसर पर किया जाये।
 2. शिविर से पूर्व वृहद प्रचार-प्रसार की प्रक्रिया एक माह पूर्व से ही प्रारम्भ कर दी जाये।
 3. शिविर में आने वाले मरीजों एवं आमजनों के बैठने की व्यवस्था, पीने का पानी, मंदबुद्धि बच्चों के लिये फल इत्यादि की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।
 4. मानसिक मन्दित बच्चों को मानसिक विकलौंगता प्रमाण-पत्र मुख्य अतिथि के माध्यम से वितरित कराने का प्रयास करें।
- (द) अरबन स्लम क्षेत्रों में जागरूकता एवं उपचार शिविर के आयोजन हेतु रू0 5,000 प्रति शिविर।
- (ध) वर्क प्लेसेस में जागरूकता एवं उपचार शिविर के आयोजन हेतु रू0 3,000 प्रति शिविर।
- (न) कालेज एवं स्कूलों में जागरूकता एवं उपचार शिविर हेतु रू0 3,000 प्रति शिविर।
- (भ) प्रत्येक जनपद में ऐसे स्थानों का चिन्हीकरण करना है जहाँ झाड़ू-फूँक होती हो यथा-मज़ार इत्यादि। जहाँ के प्रभारी से लिखित अनुमति के उपरान्त वहाँ भी चिकित्सकीय शिविर लगाया जाए। जिस हेतु रू0-5,000 प्रति शिविर का प्राविधान है। ऐसे स्थानों पर लगाने वाले बैनर पर "दवा से दुआ तक" लिखवाया जायेगा।
- (म) जनपद चिकित्सालय में मन-कक्ष (जनपद काउंसलिंग सेन्टर) की स्थापना हेतु रू0-3.00 लाख की धनराशि का प्राविधान किया गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी रू0 3.00 लाख की धनराशि मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय के खाते में हस्तांतरित करना सुनिश्चित करें, जिससे सभी जनपदों में मन-कक्ष की स्थापना यथाशीघ्र रूप में हो सकें। (FMR 3.2.5.3)

मन-कक्ष (जनपद काउंसलिंग सेन्टर)

1. मन-कक्ष के बाहर ऊपर "मन-कक्ष" एवं उसके नीचे "कहेहू ते कछु दुख घटि होई। काहि कहों यह जान न कोई।" अंकित करवाया जायेगा।
2. मन-कक्ष जिला चिकित्सालय में समुचित स्थान में स्थापित किया जायेगा। जिसका प्रबंधन मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के मार्ग-दर्शन में जिला मानसिक स्वास्थ्य टीम द्वारा किया जायेगा। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत नियुक्त मनोरोग विशेषज्ञ (चिकित्सक) के मार्ग-दर्शन एवं विलनीकल साईकोलाजिस्ट, डी0एम0एच0पी0 के सहयोग से जनपद स्तर पर कार्यरत अन्य साइकोलाजिस्ट/काउंसलर विभिन्न समस्याओं के सामाधान हेतु अपनी काउंसलिंग सेवाएं प्रदान करेंगे।
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके अधीन विभिन्न सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों अथवा अन्य स्थानों पर कार्यरत समस्त काउंसलर/साइकोलाजिस्ट माह में कम से कम एक दिन मन-कक्ष में अपनी सेवाएं अवश्य दें, जिसका रोजर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को भी उपलब्ध कराया जाए। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक से अपेक्षा की जाती है कि वह यह सुनिश्चित करें कि जनपद स्तरीय काउंसलर/साइकोलाजिस्ट एक स्थान (मन-कक्ष) पर ही बैठें, जिससे रोगियों/आगतुकों को भी विभिन्न काउंसलिंग सेवाएं एक ही कक्ष में मनोरोग विशेषज्ञ (चिकित्सक) के मार्ग-दर्शन में मिल सकें।
4. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक मन-कक्ष (जनपद काउंसलिंग सेन्टर) हेतु कुर्सी-मेज, दो टेलीफोन कनेक्शन (फालोअप हेतु), पार्टिशन, एवं अन्य आवश्यक सामग्रियों का नियमानुसार क्रय आवंटित रू0 03.00 लाख से करवाने का कष्ट करें, जिससे कक्ष की स्थापना शीघ्र हो सकें। मन-कक्ष की स्थापना हेतु इस बात का आवश्यक ध्यान रखा जाये कि काउंसलिंग के दौरान व्यक्ति की गोपनीयता बनी रहे।
5. मन-कक्ष में अपनी सेवाएं देने वाले कर्मचारियों का मानदेय उनके संबंधित कार्यक्रम, जिसके अन्तर्गत उनका चयन हुआ है, से ही निर्गत किया जाएगा।

6. मन-कक्ष स्थापना का उद्देश्य एक केन्द्र से विभिन्न प्रकार की मानसिक समस्याओं यथा-नशा, तम्बाकू सेवन, अवसाद, एन0सी0डी0 रोगों से बचाव आदि हेतु परामर्श सुविधा उपलब्ध कराना है।
7. नोडल अधिकारी जिला मानसिक स्वास्थ्य प्रकोष्ठ की टीम द्वारा मासिक एवं त्रैमासिक रिपोर्ट के साथ मन-कक्ष से संबंधित सूचनाएं/रिपोर्ट राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्रकोष्ठ को ससमय उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
8. मन-कक्ष हेतु एक मोबाईल फोन, जिसका मूल्य ₹0-1500/- से अधिक नहीं हो, क्रय किया जा सकता है। मोबाईल फोन क्लीनिकल साईकोलाजिस्ट के पास परामर्श कार्यों हेतु रखा जायेगा। अवकाश पर होने की दशा में क्लीनिकल साईकोलाजिस्ट द्वारा मोबाईल फोन अन्य काउंसलर को दिया जायेगा। मोबाईल नं0 एवं अन्य टेलीफोन नं0 का प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए, जिससे लोगों को परामर्श एवं फालोअप की सुविधा प्रदान की जा सकें।

FMR-6.1.1.20.a (Old FMR J.1.4)-Equipments :- इस मद में मनोवैज्ञानिक जॉचों हेतु आवश्यक उपकरणों (Psychological Tools) तथा उपचार हेतु बायो-फीडबैक मशीन इत्यादि का क्रय किये जाने का प्राविधान किया गया है। मेंटल हैल्थ केयर एक्ट, 2017 के अनुसार मुख्य चिकित्साधिकारी एवं जिला चिकित्सालय के प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षकगण यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक दशा में मनोरोगियों के उपचार हेतु समस्त आवश्यक उपकरण चिकित्सालय में उपलब्ध हों। वित्तीय वर्ष 2018-19 में आच्छादित 30 जनपदों हेतु ₹0- 01 लाख की धनराशि एवं वित्तीय वर्ष 2017-18 से आच्छादित 45 जनपदों हेतु 05 लाख की धनराशि का प्राविधान किया गया है।

FMR-16.1(Old FMR J.1.5) - Operational expenses of the district centre : rent, telephone expenses, website etc. पर अवमुक्त धनराशि से आपरेशन एक्सपेंस, टेलीफोन इत्यादि के लिये वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु ₹0-10,000.00 की धनराशि का प्राविधान किया गया है।

FMR-16.1(Old FMR J.1.7)- Miscellaneous / Travel / Contingency पर अवमुक्त धनराशि से मिसलेनियस/ ट्रेवल/ कन्टेजेंसी की व्यवस्था की गयी है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में आच्छादित नये 30 जनपदों हेतु ₹0-50,000.00 की धनराशि एवं वित्तीय वर्ष 2017-18 में संचालित 45 जनपदों में 5.00 लाख की धनराशि का प्राविधान किया गया है।

(अ) मिसलेनियस एवं कन्टेजेंसी मद से जिला मानसिक स्वास्थ्य प्रकोष्ठ में आवश्यक सामग्री का क्रय एवं अन्य अत्यन्त आवश्यक कार्यों का निष्पादन किया जा सकता है।

(ब) ट्रेवल के मद में मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत फील्ड विजिट के उपयोगार्थ वाहन की हेतु धनराशि की व्यवस्था की गई है। आउट-रीच कार्यक्रम एवं सामुदायिक-केन्द्र शिविर हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 में प्राविधानित नियम/उपनियमों के अनुसार वाहन की उपलब्धता मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा सुनिश्चित कराई जायेगी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी आउट-रीच कार्यक्रम एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर शिविर के आयोजन हेतु वाहन उपलब्ध कराना प्रत्येक दशा में सुनिश्चित करेंगे।

FMR-11.19.1 & 11.19.2 (Old FMR B.10.6.12.a, B.10.6.12.b)- IEC and Community Mobilization activities for NMHP

इस मद में अवमुक्त धनराशि से आई0ई0सी0 संबंधित गतिविधियों यथा समाचार पत्रों में विज्ञापन, होर्डिंग, बैनर, पोस्टर, पम्पलेट्स, बिल-बोर्ड, लोकवाहनों पर बोर्ड, पैम्पलेट, स्टीकर्स इत्यादि हेतु किया जायेगा। इस मद का उपयोग जन जागरूकता कार्यक्रम आदि हेतु किया जा सकता है। दिनांक-05/07/2018 को सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन महोदया की अध्यक्षता में हुयी बैठक में प्रदत्त निर्देशों के क्रम में आई0ई0सी0 मद में आवंटित धनराशि का शत प्रतिशत उपभोग किया जाना सुनिश्चित करें एवं मुद्रण में किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितताओं हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी एवं संबंधित पटल सहायक उत्तरदायी होंगे। **FMR-11.19.1 & 11.19.2** पर अवमुक्त धनराशि का उपभोग राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 में प्रचलित प्राविधानों के अनुसार ही प्रचार-प्रसार के मुद्रण हेतु किया जायेगा। प्रचार-प्रसार सामग्री हेतु स्पेसीफिकेशन/प्रोटोटाइप दिशा-निर्देश के साथ संलग्न कर प्रेषित किये जा चुके हैं। पुनः अवगत कराना है कि मुद्रण में किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितताओं हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी एवं संबंधित पटल सहायक उत्तरदायी होंगे।

- **FMR-6.2.16.1 Drugs(Old FMR B.16.2.11.5)-** मद पर अवमुक्त धनराशि से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 में प्रचलित प्राविधानों के अनुसार औषधि का क्रय किया जायेगा। राज्य स्तर से प्रेषित सूची के अनुसार औषधियों की उपलब्धता जिला चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर सुनिश्चित किया जाये।

Psychiatric Consultant FMR-8.1.3.2 (Old FMR B.30.3.2)

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, उ०प्र० के अन्तर्गत नव नियुक्त कार्यरत् साइकियाट्रिक कंसल्टेण्ट (मनोरोग विशेषज्ञ चिकित्सक) का मानदेय निम्नानुसार अनुमोदित है :-

- | | | |
|-----------------------------------|---|-------------------|
| 1. एम०डी०/डी०एन०बी० (साइकियाट्री) | - | 1,20,000.00 / माह |
| 2. एम.बी.बी.एस. एण्ड डी०पी०एम० | - | 1,10,000 / माह |
| 3. एम.बी.बी.एस. (ट्रेन्ड) | - | 90,000 / माह |

Clinical Psychologist FMR-8.1.13.2 (Old FMR B.30.11.2)

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, उ०प्र० के अन्तर्गत नव नियुक्त कार्यरत् क्लीनिकल साइकोलॉजिस्ट का मानदेय रू०-60,000.00/माह की दर से अनुमोदित है तथा वार्षिक वृद्धि हेतु अर्हता रखने वाले क्लीनिकल साइकोलॉजिस्ट को नियमानुसार वार्षिक वृद्धि सहित मानदेय निर्गत किया जायेगा।

Psychiatrist Social Worker FMR-8.1.13.8 (Old FMR B.30.11.4)

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, उ०प्र० के अन्तर्गत कार्यरत् साइकियाट्रिस्ट सोशल वर्कर का मानदेय रू०-50,000.00/माह की दर से अनुमोदित है तथा वार्षिक वृद्धि हेतु अर्हता रखने वाले साइकियाट्रिस्ट सोशल वर्कर को नियमानुसार वार्षिक वृद्धि सहित मानदेय निर्गत किया जायेगा।

Community Level Psychologist FMR-8.1.13.2 (Old FMR B.30.11.17.3)

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, उ०प्र० के अन्तर्गत प्रति जनपद 04 कम्प्यूनिटी लेवल साइकोलॉजिस्ट के पदों का अनुमोदन मानदेय रू०-35,000.00/माह की दर से प्राप्त हुआ है, जिनकी नियुक्ति चिन्हित 08 सामु०स्वा०केन्द्रों में से किन्ही 04 सामु०स्वा० केन्द्रों पर किया जाना है।

Psychiatric Nurse FMR-8.1.1.3.a (Old FMR B.30.1.11)

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, उ०प्र० के अन्तर्गत कार्यरत् साइकियाट्रिक नर्स का मानदेय रू०-40,000.00/माह की दर से अनुमोदित है तथा वार्षिक वृद्धि हेतु अर्हता रखने वाले साइकियाट्रिक नर्स को नियमानुसार वार्षिक वृद्धि सहित मानदेय निर्गत किया जायेगा।

Community Nurse FMR-8.1.1.3.c (Old FMR B.30.1.2)

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, उ०प्र० के अन्तर्गत कार्यरत् कम्प्यूनिटी नर्स का मानदेय रू०-25,000.00/माह की दर से अनुमोदित है तथा वार्षिक वृद्धि हेतु अर्हता रखने वाले कम्प्यूनिटी नर्स को नियमानुसार वार्षिक वृद्धि सहित मानदेय निर्गत किया जायेगा।

Monitoring & Evaluation Officer FMR-16.8.2.3.2 (Old FMR A.10.2.8.5)

वर्ष 2017-18 की द्वितीय अनुपूरक राज्य कार्ययोजना में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, उ०प्र० के अन्तर्गत मॉनिटरिंग एण्ड इवैल्यूेशन ऑफिसर का मानदेय रू०-35,000.00/माह की दर अनुमोदित किया गया है, उक्त मानदेय के अन्तर हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र० के पत्र सं० एस०पी०एम०यू०/एन०सी०डी०/एन०एम०एच०पी०/०५/2017-18/5167-45 दिनांक 13/08/2018 द्वारा धनराशि आवंटित की जा चुकी है तथा वर्ष 2018-19 की राज्य कार्ययोजना में भी भारत सरकार द्वारा कार्यक्रम के अन्तर्गत मॉनिटरिंग एण्ड इवैल्यूेशन ऑफिसर का मानदेय रू०-35,000.00/माह की दर अनुमोदित किया गया है।

Case Registry Assistant FMR-8.1.15.7 (Old FMR B.30.13.7)

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, उ०प्र० के अन्तर्गत कार्यरत् केस रजिस्ट्री का मानदेय रू०-15,000.00/माह की दर अनुमोदित है।

Ward Assistant/Orderlies FMR-8.1.16.7 (Old FMR - B.30.14.3)

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, उ०प्र० के अन्तर्गत कार्यरत् वार्ड अस्तिटेंट का मानदेय रू०-15,000.00/माह की दर अनुमोदित है।

अन्य दिशा-निर्देश :-

1. जिला डी०एम०एच०पी० क्लीनिक में प्रशासनिक/वित्तीय नियंत्रण मुख्य चिकित्सा अधिकारी के स्तर से एवं क्लीनिकल कार्यों पर नियंत्रण मुख्य चिकित्सा अधीक्षक का होगा।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला स्वास्थ्य समिति को उपलब्ध कराये गये बजट का उपभोग राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र० में प्रचलित नियमों/उपनियमों के अनुसार करेंगे तथा क्रय सम्बन्धित कार्य वर्तमान में उपलब्ध क्रय-प्रक्रिया के अनुसार जिला-स्वास्थ्य-समिति के माध्यम से नियमानुसार करेंगे।
3. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक एन०एम०एच०पी० कार्यक्रम के अन्तर्गत ओ०पी०डी० एवं काउंसलिंग की सुविधा जिला चिकित्सालय में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही साथ मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जनपद चिकित्सालय के मेडिसिन विभाग (अथवा अन्य समुचित स्थान) में मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत 20 शैय्याओं (10 शैय्या पुरुषों हेतु एवं 10 शैय्या महिलाओं हेतु) का चिन्हीकरण भी करेंगे। शैय्याओं के चिन्हीकरण से तात्पर्य यह है कि शैय्याओं के इंचार्ज एम.डी./फिजिशियन ही रहेंगे परन्तु उनके

मरीज/रोगी जोकि हिस्टीरियो, अवसाद एवं अन्य मनोविकार से पीड़ित होंगे, उन्हें वह उन चिन्हित शैय्याओं पर ही भर्ती करेंगे जिससे उन रोगियों को मनोचिकित्सक/मनोवैज्ञानिक को बुलाकर दिखाया जा सकें।

4. मुख्य चिकित्साधिकारी एवं प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, समस्त उ०प्र० का संयुक्त रूप से उत्तरदायित्व होगा कि वह मेटल हैल्थकेयर एक्ट, 2017 का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें।
5. मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम से संबंधित पत्राचार हेतु एक ईमेल आईडी बनवाना सुनिश्चित करें यथा— dmhp(name of District)@..... और राज्य स्तर पर अपना ईमेल आई.डी. उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(पंकज कुमार)

मिशन निदेशक

पत्रांक— एस०पी०एम०यू०/एन०सी०डी०/एन०एम०एच०पी०/०५/२०१८-१९/

तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ० प्र० शासन।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, लखनऊ, उ०प्र०।
3. वरिष्ठ क्षेत्रीय निदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।
4. समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
5. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र०।
6. समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र०।
7. महाप्रबन्धक, एम०आई०एस०, एस०पी०एम०यू०, एन०एम०एच० को इस आशय से प्रेषित कि पत्र की प्रति एन०एम०एच० वेबसाइट www.upnrhm-gov-in पर अपलोड करने का कष्ट करें।
9. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र०।

(डा० ए० बी० सिंह)

उपमहाप्रबन्धक, एन०सी०डी०

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उ०प्र०, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,
उ०प्र०।

पत्रांक सं० एस०पी०एम०यू०/एन०सी०डी०/एन०एम०एच०पी०/2018-19/

दिनांक 24/9/18

विषय : राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में विभिन्न गतिविधियों हेतु धनराशि आवंटन एवं दिशा-निर्देश के संबंध में।

महोदय/महोदया,

अवगत कराना है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा कार्ययोजना वर्ष 2018-19 में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम हेतु रू० 7018.64 लाख की धनराशि का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

2. अतः उक्त के क्रम में निम्नलिखित तालिका के अनुसार जनपदों को पूर्व में प्रेषित 04 माह की धनराशि को समायोजित करते हुए शेष धनराशि निम्नलिखित तालिका के अनुसार व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त धनराशि का व्यय जनपद स्तर पर उपलब्ध धनराशि से किया जायेगा एवं डैप के सापेक्ष व्यय विवरण प्रेषित किया जायेगा-

National Mental Health Programme (NMHP)

Amount in Lacs

S.no	Districts Name	Targeted interventions at community level Activities & interventions targeted at schools, colleges, workplaces, out of school adolescents, urban slums and suicide prevention. @ Rs. 9.00 lacs	District counselling centre (DCC) and crisis helpline outsourced to psychology department/ NGO per year @ 3.00 Lacs	Equipments	Operational expenses of the district centre : rent, telephone expenses, website etc. @ 0.10 Lacs	Miscellaneous/Travel/Contingency under NMHP	Translation of IEC material and distribution	Awareness generation activities in the community, school, workplaces with community involvement	Durges @ 10.00 Lacs	
FMR CODE		2.3.2.3	3.2.5.3	6.1.1.20.a	16.1		11.19.1	11.19.2	6.2.16.1	
1	Agra	5.00	3.00	3.00	0.07	3.50	1.33	1.33	6.67	23.90
2	Aligarh	5.00	3.00	3.00	0.07	3.50	1.33	1.33	6.67	23.90
3	Allahabad	5.00	3.00	3.00	0.07	3.50	1.33	1.33	6.67	23.90
4	Ambedkar Nagar	5.00	3.00	3.00	0.07	3.50	1.33	1.33	6.67	23.90
5	Amethi	5.00	3.00	3.00	0.07	3.50	1.33	1.33	6.67	23.90
6	Amroha	9.00	3.00	1.00	0.10	0.50	2.00	2.00	10.00	27.60
7	Auraiya	9.00	3.00	1.00	0.10	0.50	2.00	2.00	10.00	27.60
8	Azamgarh	9.00	3.00	1.00	0.10	0.50	2.00	2.00	10.00	27.60
9	Baghpat	9.00	3.00	1.00	0.10	0.50	2.00	2.00	10.00	27.60
10	Bahraich	5.00	3.00	3.00	0.07	3.50	1.33	1.33	6.67	23.90
11	Ballia	9.00	3.00	1.00	0.10	0.50	2.00	2.00	10.00	27.60

S.no	Districts Name	Targeted interventions at community level Activities & interventions targeted at schools, colleges, workplaces, out of school adolescents, urban slums and suicide prevention. @ Rs. 9.00 lacs	District counselling centre (DCC) and crisis helpline outsourced to psychology department/ NGO per year @ 3.00 Lacs	Equipments	Operational expenses of the district centre : rent, telephone expenses, website etc. @ 0.10 Lacs	Miscellaneous/Travel/Contingency under NMHP	Translation of IEC material and distribution	Awareness generation activities in the community, school, workplaces with community involvement	Durges @ 10.00 Lacs	
FMR CODE		2.3.2.3	3.2.5.3	6.1.1.20.a	16.1		11.19.1	11.19.2	6.2.16.1	
12	Balrampur	5.00	3.00	3.00	0.07	3.50	1.33	1.33	6.67	23.90
13	Banda	5.00	3.00	3.00	0.07	3.50	1.33	1.33	6.67	23.90
14	Barabanki	5.00	3.00	3.00	0.07	3.50	1.33	1.33	6.67	23.90
15	Bareilly	5.00	3.00	3.00	0.07	3.50	1.33	1.33	6.67	23.90
16	Basti	5.00	3.00	3.00	0.07	3.50	1.33	1.33	6.67	23.90
17	Bijnor	9.00	3.00	1.00	0.10	0.50	2.00	2.00	10.00	27.60
18	Budaun	5.00	3.00	3.00	0.07	3.50	1.33	1.33	6.67	23.90
19	Bulandshahar	9.00	3.00	1.00	0.10	0.50	2.00	2.00	10.00	27.60
20	Chandauli	9.00	3.00	1.00	0.10	0.50	2.00	2.00	10.00	27.60
21	Chitrakoot	5.00	3.00	3.00	0.07	3.50	1.33	1.33	6.67	23.90
22	Deoria	5.00	3.00	3.00	0.07	3.50	1.33	1.33	6.67	23.90
23	Etah	9.00	3.00	1.00	0.10	0.50	2.00	2.00	10.00	27.60
24	Etawah	5.00	3.00	3.00	0.07	3.50	1.33	1.33	6.67	23.90
25	Faizabad	5.00	3.00	3.00	0.07	3.50	1.33	1.33	6.67	23.90
26	Farrukhabad	9.00	3.00	1.00	0.10	0.50	2.00	2.00	10.00	27.60
27	Fatehpur	5.00	3.00	3.00	0.07	3.50	1.33	1.33	6.67	23.90
28	Firozabad	5.00	3.00	3.00	0.07	3.50	1.33	1.33	6.67	23.90
29	G.B. Nagar	5.00	3.00	3.00	0.07	3.50	1.33	1.33	6.67	23.90
30	Ghaziabad	5.00	3.00	3.00	0.07	3.50	1.33	1.33	6.67	23.90
31	Ghazipur	9.00	3.00	1.00	0.10	0.50	2.00	2.00	10.00	27.60
32	Gonda	5.00	3.00	3.00	0.07	3.50	1.33	1.33	6.67	23.90
33	Gorakhpur	5.00	3.00	3.00	0.07	3.50	1.33	1.33	6.67	23.90
34	Hamirpur	5.00	3.00	3.00	0.07	3.50	1.33	1.33	6.67	23.90
35	Hapur	9.00	3.00	1.00	0.10	0.50	2.00	2.00	10.00	27.60
36	Hardoi	5.00	3.00	3.00	0.07	3.50	1.33	1.33	6.67	23.90
37	Hathras	5.00	3.00	3.00	0.07	3.50	1.33	1.33	6.67	23.90
38	Jalaun	5.00	3.00	3.00	0.07	3.50	1.33	1.33	6.67	23.90
39	Jaunpur	5.00	3.00	3.00	0.07	3.50	1.33	1.33	6.67	23.90
40	Jhansi	5.00	3.00	3.00	0.07	3.50	1.33	1.33	6.67	23.90
41	Kannauj	9.00	3.00	1.00	0.10	0.50	2.00	2.00	10.00	27.60
42	Kanpur Dehat	9.00	3.00	1.00	0.10	0.50	2.00	2.00	10.00	27.60

S.no	Districts Name	Targeted interventions at community level Activities & interventions targeted at schools, colleges, workplaces, out of school adolescents, urban slums and suicide prevention. @ Rs. 9.00 lacs	District counselling centre (DCC) and crisis helpline outsourced to psychology department/ NGO per year @ 3.00 Lacs	Equipments	Operational expenses of the district centre : rent, telephone expenses, website etc. @ 0.10 Lacs	Miscellaneous/Travel/Contingency under NMHP	Translation of IEC material and distribution	Awareness generation activities in the community, school, workplaces with community involvement	Durgs @ 10.00 Lacs	
FMR CODE		2.3.2.3	3.2.5.3	6.1.1.20.a	16.1		11.19.1	11.19.2	6.2.16.1	
43	Kanpur Nagar	5.00	3.00	3.00	0.07	3.50	1.33	1.33	6.67	23.90
44	Kasganj	9.00	3.00	1.00	0.10	0.50	2.00	2.00	10.00	27.60
45	Kaushambi	9.00	3.00	1.00	0.10	0.50	2.00	2.00	10.00	27.60
46	Kushinagar	9.00	3.00	1.00	0.10	0.50	2.00	2.00	10.00	27.60
47	Lakhimpur-Kheri	5.00	3.00	3.00	0.07	3.50	1.33	1.33	6.67	23.90
48	Lalitpur	9.00	3.00	1.00	0.10	0.50	2.00	2.00	10.00	27.60
49	Lucknow	5.00	3.00	3.00	0.07	3.50	1.33	1.33	6.67	23.90
50	Maharajganj	9.00	3.00	1.00	0.10	0.50	2.00	2.00	10.00	27.60
51	Mahoba	5.00	3.00	3.00	0.07	3.50	1.33	1.33	6.67	23.90
52	Mainpuri	9.00	3.00	1.00	0.10	0.50	2.00	2.00	10.00	27.60
53	Mathura	5.00	3.00	3.00	0.07	3.50	1.33	1.33	6.67	23.90
54	Mau	9.00	3.00	1.00	0.10	0.50	2.00	2.00	10.00	27.60
55	Meerut	5.00	3.00	3.00	0.07	3.50	1.33	1.33	6.67	23.90
56	Mirzapur	5.00	3.00	3.00	0.07	3.50	1.33	1.33	6.67	23.90
57	Moradabad	5.00	3.00	3.00	0.07	3.50	1.33	1.33	6.67	23.90
58	Muzaffarnagar	5.00	3.00	3.00	0.07	3.50	1.33	1.33	6.67	23.90
59	Pilibhit	9.00	3.00	1.00	0.10	0.50	2.00	2.00	10.00	27.60
60	Pratapgarh	5.00	3.00	3.00	0.07	3.50	1.33	1.33	6.67	23.90
61	Raebareli	5.00	3.00	3.00	0.07	3.50	1.33	1.33	6.67	23.90
62	Rampur	9.00	3.00	1.00	0.10	0.50	2.00	2.00	10.00	27.60
63	Saharanpur	5.00	3.00	3.00	0.07	3.50	1.33	1.33	6.67	23.90
64	Sambhal	9.00	3.00	1.00	0.10	0.50	2.00	2.00	10.00	27.60
65	Sant Kabir Nagar	9.00	3.00	1.00	0.10	0.50	2.00	2.00	10.00	27.60
66	SRD Nagar (Bhadohi)	9.00	3.00	1.00	0.10	0.50	2.00	2.00	10.00	27.60
67	Shahjahanpur	5.00	3.00	3.00	0.07	3.50	1.33	1.33	6.67	23.90
68	Shamli	9.00	3.00	1.00	0.10	0.50	2.00	2.00	10.00	27.60
69	Shrawasti	9.00	3.00	1.00	0.10	0.50	2.00	2.00	10.00	27.60
70	Siddhartha Nagar	9.00	3.00	1.00	0.10	0.50	2.00	2.00	10.00	27.60
71	Sitapur	5.00	3.00	3.00	0.07	3.50	1.33	1.33	6.67	23.90

S.no	Districts Name	Targeted interventions at community level Activities & interventions targeted at schools, colleges, workplaces, out of school adolescents, urban slums and suicide prevention. @ Rs. 9.00 lacs	District counselling centre (DCC) and crisis helpline outsourced to psychology department/ NGO per year @ 3.00 Lacs	Equipments	Operational expenses of the district centre : rent, telephone expenses, website etc. @ 0.10 Lacs	Miscellaneous/Travel/Contingency under NMHP	Translation of IEC material and distribution	Awareness generation activities in the community, school, workplaces with community involvement	Durges @ 10.00 Lacs	
FMR CODE		2.3.2.3	3.2.5.3	6.1.1.20.a	16.1		11.19.1	11.19.2	6.2.16.1	
72	Sonbhadra	9.00	3.00	1.00	0.10	0.50	2.00	2.00	10.00	27.60
73	Sultanpur	5.00	3.00	3.00	0.07	3.50	1.33	1.33	6.67	23.90
74	Unnao	5.00	3.00	3.00	0.07	3.50	1.33	1.33	6.67	23.90
75	Varanasi	5.00	3.00	3.00	0.07	3.50	1.33	1.33	6.67	23.90
Total		495.00	225.00	165.00	6.00	172.50	120.00	120.00	600.00	1903.50

Salary Distribution of Districts for 2018-19

Amount in Lacs

Sl. No.	Name of Districts	75 Full Time Psychiatrist @ Rs 120000 PM for 12 Month	14 Clinical Psychologist @ Rs. 66150/PM & 61 Clinical Psychologist @ Rs. 60000/PM for 12 Month	300 Community Level Psychologist @ Rs. 35000 PM for 12 Month	14 Psychiatric Social Worker @ Rs. 55125/PM & 63 Psychiatric Social Worker @ Rs. 50000 /PM for 12 Month	14 Psychiatric Nurse @ Rs. 44100/PM & 61 Psychiatric Nurse @ Rs. 40000 /PM for 12 Month	14 Community Nurse @ Rs. 27563/PM & 61 Community Nurse @ Rs. 25000/PM for 12 Month	75 Monitoring & Evaluation Officer @ Rs. 35000 /PM for 12 Month	75 Case Registry Assistant @ Rs. 15000 /PM for 12 Month	75 Ward Assistant @ Rs. 15000 PM for 12 Month	Total
NEW FMR CODE		8.1.3.2	8.1.13.2		8.1.13.8	8.1.1.3.a	8.1.1.3.c	16.8.2.3.2	8.1.15.7	8.1.16.7	
1	Agra	14.40	7.20	16.80	6.00	4.80	3.00	4.20	1.80	1.80	60.00
2	Aligarh	14.40	7.20	16.80	6.00	4.80	3.00	4.20	1.80	1.80	60.00
3	Allahabad	14.40	7.20	16.80	6.00	4.80	3.00	4.20	1.80	1.80	60.00
4	Ambedkar Nagar	14.40	7.20	16.80	6.00	4.80	3.00	4.20	1.80	1.80	60.00
5	Amethi	14.40	7.20	16.80	6.00	4.80	3.00	4.20	1.80	1.80	60.00
6	Amroha	14.40	7.20	16.80	6.00	4.80	3.00	4.20	1.80	1.80	60.00
7	Auraiya	14.40	7.20	16.80	6.00	4.80	3.00	4.20	1.80	1.80	60.00
8	Azamgarh	14.40	7.20	16.80	6.00	4.80	3.00	4.20	1.80	1.80	60.00
9	Baghpat	14.40	7.20	16.80	6.00	4.80	3.00	4.20	1.80	1.80	60.00
10	Bahraich	14.40	7.94	16.80	6.62	5.29	3.31	4.20	1.80	1.80	62.15
11	Ballia	14.40	7.20	16.80	6.00	4.80	3.00	4.20	1.80	1.80	60.00
12	Balrampur	14.40	7.20	16.80	6.00	4.80	3.00	4.20	1.80	1.80	60.00
13	Banda	14.40	7.94	16.80	6.62	5.29	3.31	4.20	1.80	1.80	62.15
14	Barabanki	14.40	7.94	16.80	6.62	5.29	3.31	4.20	1.80	1.80	62.15
15	Barilly	14.40	7.20	16.80	6.00	4.80	3.00	4.20	1.80	1.80	60.00
16	Basti	14.40	7.20	16.80	6.00	4.80	3.00	4.20	1.80	1.80	60.00
17	Bijnor	14.40	7.20	16.80	6.00	4.80	3.00	4.20	1.80	1.80	60.00

S. No.	Name of Districts	75 Full Time Psychiatrist @ Rs 120000 /PM for 12 Month	14 Clinical Psychologist @ Rs. 66150/PM & 61 Clinical Psychologist @ Rs. 60000/PM for 12 Month	300 Community Level Psychologist @ Rs. 35000 /PM for 12 Month	14 Psychiatric Social Worker @ Rs. 55125/ PM & 63 Psychiatric Social Worker @ Rs. 50000 /PM for 12 Month	14 Psychiatric Nurse @ Rs. 44100/PM & 61 Psychiatric Nurse @ Rs. 40000 /PM for 12 Month	14 Community Nurse @ Rs. 27563/PM & 61 Community Nurse @ Rs. 25000/PM for 12 Month	75 Monitoring & Evaluation Officer @ Rs. 35000 /PM for 12 Month	75 Case Registry Assistant @ Rs. 15000 /PM for 12 Month	75 Ward Assistant @ Rs. 15000 /PM for 12 Month	Total
NEW FMR CODE		8.1.3.2	8.1.13.2		8.1.13.8	8.1.1.3.a	8.1.1.3.c	16.8.2.3.2	8.1.15.7	8.1.16.7	
18	Budaun	14.40	7.20	16.80	6.00	4.80	3.00	4.20	1.80	1.80	60.00
19	Bulandshahr	14.40	7.20	16.80	6.00	4.80	3.00	4.20	1.80	1.80	60.00
20	Chandauli	14.40	7.20	16.80	6.00	4.80	3.00	4.20	1.80	1.80	60.00
21	Chitrakoot	14.40	7.20	16.80	6.00	4.80	3.00	4.20	1.80	1.80	60.00
22	Deoria	14.40	7.20	16.80	6.00	4.80	3.00	4.20	1.80	1.80	60.00
23	Etah	14.40	7.20	16.80	6.00	4.80	3.00	4.20	1.80	1.80	60.00
24	Etawah	14.40	7.94	16.80	6.62	5.29	3.31	4.20	1.80	1.80	62.15
25	Faizabad	14.40	7.94	16.80	6.62	5.29	3.31	4.20	1.80	1.80	62.15
26	Farrukhabad	14.40	7.20	16.80	6.00	4.80	3.00	4.20	1.80	1.80	60.00
27	Fatehpur	14.40	7.94	16.80	6.62	5.29	3.31	4.20	1.80	1.80	62.15
28	Firozabad	14.40	7.20	16.80	6.00	4.80	3.00	4.20	1.80	1.80	60.00
29	G.B. Nagar	14.40	7.20	16.80	6.00	4.80	3.00	4.20	1.80	1.80	60.00
30	Ghaziabad	14.40	7.20	16.80	6.00	4.80	3.00	4.20	1.80	1.80	60.00
31	Ghazipur	14.40	7.20	16.80	6.00	4.80	3.00	4.20	1.80	1.80	60.00
32	Gonda	14.40	7.20	16.80	6.00	4.80	3.00	4.20	1.80	1.80	60.00
33	Gorakhpur	14.40	7.20	16.80	6.00	4.80	3.00	4.20	1.80	1.80	60.00
34	Hamirpur	14.40	7.20	16.80	6.00	4.80	3.00	4.20	1.80	1.80	60.00
35	Hapur	14.40	7.20	16.80	6.00	4.80	3.00	4.20	1.80	1.80	60.00
36	Hardoi	14.40	7.94	16.80	6.62	5.29	3.31	4.20	1.80	1.80	62.15
37	Hathras	14.40	7.20	16.80	6.00	4.80	3.00	4.20	1.80	1.80	60.00
38	Jalaun	14.40	7.20	16.80	6.00	4.80	3.00	4.20	1.80	1.80	60.00
39	Jaunpur	14.40	7.20	16.80	6.00	4.80	3.00	4.20	1.80	1.80	60.00
40	Jhansi	14.40	7.20	16.80	6.00	4.80	3.00	4.20	1.80	1.80	60.00
41	Kannuj	14.40	7.20	16.80	6.00	4.80	3.00	4.20	1.80	1.80	60.00
42	Kanpur Dehat	14.40	7.20	16.80	6.00	4.80	3.00	4.20	1.80	1.80	60.00
43	Kanpur Nagar	14.40	7.94	16.80	6.62	5.29	3.31	4.20	1.80	1.80	62.15
44	Kasganj	14.40	7.20	16.80	6.00	4.80	3.00	4.20	1.80	1.80	60.00
45	Kaushambi	14.40	7.20	16.80	6.00	4.80	3.00	4.20	1.80	1.80	60.00
46	Kushinagar	14.40	7.20	16.80	6.00	4.80	3.00	4.20	1.80	1.80	60.00
47	Lakhimpur-Kheri	14.40	7.20	16.80	6.00	4.80	3.00	4.20	1.80	1.80	60.00
48	Lalitpur	14.40	7.20	16.80	6.00	4.80	3.00	4.20	1.80	1.80	60.00
49	Lucknow	14.40	7.20	16.80	6.00	4.80	3.00	4.20	1.80	1.80	60.00
50	Maharajganj	14.40	7.20	16.80	6.00	4.80	3.00	4.20	1.80	1.80	60.00
51	Mahoba	14.40	7.20	16.80	6.00	4.80	3.00	4.20	1.80	1.80	60.00
52	Mainpuri	14.40	7.20	16.80	6.00	4.80	3.00	4.20	1.80	1.80	60.00

Sl. No.	Name of Districts	75 Full Time Psychiatrist @ Rs. 120000 /PM for 12 Month	14 Clinical Psychologist @ Rs. 66150/PM & 61 Clinical Psychologist @ Rs. 60000/PM for 12 Month	300 Community Level Psychologist @ Rs. 35000 /PM for 12 Month	14 Psychiatric Social Worker @ Rs. 55125/PM & 63 Psychiatric Social Worker @ Rs. 50000 /PM for 12 Month	14 Psychiatric Nurse @ Rs. 44100/PM & 61 Psychiatric Nurse @ Rs. 40000 /PM for 12 Month	14 Community Nurse @ Rs. 27563/PM & 61 Community Nurse @ Rs. 25000/PM for 12 Month	75 Monitoring & Evaluation Officer @ Rs. 35000 /PM for 12 Month	75 Case Registry Assistant @ Rs. 15000 /PM for 12 Month	75 Ward Assistant @ Rs. 15000 /PM for 12 Month	Total
NEW FMR CODE		8.1.3.2	8.1.13.2		8.1.13.8	8.1.1.3.a	8.1.1.3.c	16.8.2.3.2	8.1.15.7	8.1.16.7	
53	Mathura	14.40	7.20	16.80	6.00	4.80	3.00	4.20	1.80	1.80	60.00
54	Mau	14.40	7.20	16.80	6.00	4.80	3.00	4.20	1.80	1.80	60.00
55	Meerut	14.40	7.20	16.80	6.00	4.80	3.00	4.20	1.80	1.80	60.00
56	Mirzapur	14.40	7.94	16.80	6.62	5.29	3.31	4.20	1.80	1.80	62.15
57	Moradabad	14.40	7.94	16.80	6.62	5.29	3.31	4.20	1.80	1.80	62.15
58	Muzaffarnagar	14.40	7.20	16.80	6.00	4.80	3.00	4.20	1.80	1.80	60.00
59	Pilibhit	14.40	7.20	16.80	6.00	4.80	3.00	4.20	1.80	1.80	60.00
60	Pratapgarh	14.40	7.20	16.80	6.00	4.80	3.00	4.20	1.80	1.80	60.00
61	Raebareilly	14.40	7.94	16.80	6.62	5.29	3.31	4.20	1.80	1.80	62.15
62	Rampur	14.40	7.20	16.80	6.00	4.80	3.00	4.20	1.80	1.80	60.00
63	Saharanpur	14.40	7.20	16.80	6.00	4.80	3.00	4.20	1.80	1.80	60.00
64	Sambhal	14.40	7.20	16.80	6.00	4.80	3.00	4.20	1.80	1.80	60.00
65	Sant Kabir Nagar	14.40	7.20	16.80	6.00	4.80	3.00	4.20	1.80	1.80	60.00
66	SRD Nagar (Bhadohi)	14.40	7.20	16.80	6.00	4.80	3.00	4.20	1.80	1.80	60.00
67	Shahjahanpur	14.40	7.20	16.80	6.00	4.80	3.00	4.20	1.80	1.80	60.00
68	Shamli	14.40	7.20	16.80	6.00	4.80	3.00	4.20	1.80	1.80	60.00
69	Shrawasti	14.40	7.20	16.80	6.00	4.80	3.00	4.20	1.80	1.80	60.00
70	Siddhartha Nagar	14.40	7.20	16.80	6.00	4.80	3.00	4.20	1.80	1.80	60.00
71	Sitapur	14.40	7.94	16.80	6.62	5.29	3.31	4.20	1.80	1.80	62.15
72	Sonbhadra	14.40	7.20	16.80	6.00	4.80	3.00	4.20	1.80	1.80	60.00
73	Sultanpur	14.40	7.94	16.80	6.62	5.29	3.31	4.20	1.80	1.80	62.15
74	Unnao	14.40	7.94	16.80	6.62	5.29	3.31	4.20	1.80	1.80	62.15
75	Varanasi	14.40	7.20	16.80	6.00	4.80	3.00	4.20	1.80	1.80	60.00
Total		1080.00	550.33	1260.00	458.61	366.89	229.31	315.00	135.00	135.00	4530.14

FMR-2.3.2.3 & 3.2.5.3 -Targeted interventions at community level Activities & interventions targeted at schools, colleges, workplaces, out of school adolescents, urban slums and suicide prevention. (Old FMR J.1.3) पर अवमुक्त धनराशि हेतु दिशा-निर्देश निम्नवत् हैं:-

- (अ) मुख्य चिकित्सा अधिकारी जनपद की 08 सी०एच०सी० का चिन्हीकरण करते हुए प्रत्येक सी०एच०सी० पर प्रति माह 01 शिविर का आयोजन करवाना सुनिश्चित करेंगे, अर्थात् 01 सी०एच०सी० में वर्ष भर में 12 शिविर आयोजित करने का प्राविधान है, जिस हेतु प्रति शिविर रु०-5,000.00(रु० पाँच हजार) की धनराशि का प्राविधान किया गया है, जिससे शिविर के आयोजन पूर्व चिकित्सक के आगमन की सूचना का प्रचार-प्रसार एवं शिविर के दिन मरीजों के लिये समुचित बैठने एवं जल इत्यादि की व्यवस्था की जायेगी। अतः मुख्य चिकित्सा अधिकारी रु०-5,000×12= 60,000 (रुपया साठ हजार) चिन्हित सी०एच०सी० के प्रभारी को हस्तान्तरित करना सुनिश्चित करें, जिससे कार्यक्रम हित में धनराशि का सदुपयोग किया जा सके।

- (ब) जिला स्तर पर जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जाना है, जिसमें मानसिक मन्दित बच्चों को मानसिक विकलौंगता प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने हेतु रूपया 30,000 प्रति शिविर की धनराशि का प्राविधान किया गया है। इस धन का उपयोग शिविर से पूर्व प्रचार-प्रसार एवं शिविर के दिन बैठने, पीने हेतु जल इत्यादि अन्य गतिविधियों में नियमानुसार किया जाना है। मा० मुख्यमंत्री, उ०प्र० महोदय द्वारा दिव्यांगों को प्रमाण-पत्र समयबद्ध निर्गत किये जाने की अपेक्षा की गयी है, जिसमें किसी भी स्तर पर शिथिलता नहीं होनी चाहिए।
- (स) प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 01 विशाल जागरूकता शिविर का आयोजन किया जायेगा, जिसमें जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जायेगी। इस शिविर के लिये ₹0-1.00 लाख की धनराशि का प्राविधान किया जाता है, जिस हेतु दिशा-निर्देश निम्नवत् हैं :-
1. 07, अप्रैल (विश्व स्वास्थ्य दिवस), 10 अक्टूबर (विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस), 21, सितम्बर (विश्व अल्जाइमर दिवस) अथवा अन्य महत्वपूर्ण दिवसों के अवसर पर किया जाये।
 2. शिविर से पूर्व वृहद प्रचार-प्रसार की प्रक्रिया एक माह पूर्व से ही प्रारम्भ कर दी जाये।
 3. शिविर में आने वाले मरीजों एवं आमजनों के बैठने की व्यवस्था, पीने का पानी, मंदबुद्धि बच्चों के लिये फल इत्यादि की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।
 4. मानसिक मन्दित बच्चों को मानसिक विकलौंगता प्रमाण-पत्र मुख्य अतिथि के माध्यम से वितरित कराने का प्रयास करें।
- (द) अरबन स्लम क्षेत्रों में जागरूकता एवं उपचार शिविर के आयोजन हेतु ₹0 5,000 प्रति शिविर।
- (ध) वर्क प्लेसेस में जागरूकता एवं उपचार शिविर के आयोजन हेतु ₹0 3,000 प्रति शिविर।
- (न) कालेज एवं स्कूलों में जागरूकता एवं उपचार शिविर हेतु ₹0 3,000 प्रति शिविर।
- (भ) प्रत्येक जनपद में ऐसे स्थानों का चिन्हीकरण करना है जहाँ झाड़-फूँक होती हो यथा-मजार इत्यादि। जहाँ के प्रभारी से लिखित अनुमति के उपरान्त वहाँ भी चिकित्सकीय शिविर लगाया जाए। जिस हेतु ₹0-5,000 प्रति शिविर का प्राविधान है। ऐसे स्थानों पर लगने वाले बैनर पर "दवा से दुआ तक " लिखवाया जायेगा।
- (म) जनपद चिकित्सालय में मन-कक्ष (जनपद काउंसलिंग सेन्टर) की स्थापना हेतु ₹0-3.00 लाख की धनराशि का प्राविधान किया गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ₹0 3.00 लाख की धनराशि मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय के खाते में हस्तांतरित करना सुनिश्चित करें, जिससे सभी जनपदों में मन-कक्ष की स्थापना यथाशीघ्र रूप में हो सकें। (FMR 3.2.5.3)

मन-कक्ष (जनपद काउंसलिंग सेन्टर)

1. मन-कक्ष के बाहर ऊपर "मन-कक्ष" एवं उसके नीचे "कहेहू ते कछु दुख घटि होई। काहि कहों यह जान न कोई।" अंकित करवाया जायेगा।
2. मन-कक्ष जिला चिकित्सालय में समुचित स्थान में स्थापित किया जायेगा। जिसका प्रबंधन मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के मार्ग-दर्शन में जिला मानसिक स्वास्थ्य टीम द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत नियुक्त मनोरोग विशेषज्ञ (चिकित्सक) के मार्ग-दर्शन एवं क्लिनिकल साइकोलाजिस्ट, डी०एम०एच०पी० के सहयोग से जनपद स्तर पर कार्यरत अन्य साइकोलाजिस्ट/काउंसलर विभिन्न समस्याओं के सामाधान हेतु अपनी काउंसलिंग सेवाएं प्रदान करेंगे।
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके अधीन विभिन्न सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों अथवा अन्य स्थानों पर कार्यरत समस्त काउंसलर/साइकोलाजिस्ट माह में कम से कम एक दिन मन-कक्ष में अपनी सेवाएं अवश्य दें, जिसका रोजर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को भी उपलब्ध कराया जाए। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक से अपेक्षा की जाती है कि वह यह सुनिश्चित करें कि जनपद स्तरीय काउंसलर/साइकोलाजिस्ट एक स्थान (मन-कक्ष) पर ही बैठें, जिससे रोगियों/आगतुकों को भी विभिन्न काउंसलिंग सेवाएं एक ही कक्ष में मनोरोग विशेषज्ञ (चिकित्सक) के मार्ग-दर्शन में मिल सकें।
4. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक मन-कक्ष (जनपद काउंसलिंग सेन्टर) हेतु कुर्सी-मेज, दो टेलीफोन कनेक्शन (फालोअप हेतु), पार्टिशन, एवं अन्य आवश्यक सामग्रियों का नियमानुसार क्रय आवंटित ₹0 03.00 लाख से करवाने का कष्ट करें, जिससे कक्ष की स्थापना शीघ्र हो सकें। मन-कक्ष की स्थापना हेतु इस बात का अवश्यक ध्यान रखा जाये कि काउंसलिंग के दौरान व्यक्ति की गोपनीयता बनी रहे।
5. मन-कक्ष में अपनी सेवाएं देने वाले कर्मचारियों का मानदेय उनके संबंधित कार्यक्रम, जिसके अन्तर्गत उनका चयन हुआ है, से ही निर्गत किया जाएगा।

6. मन-कक्ष स्थापना का उद्देश्य एक केन्द्र से विभिन्न प्रकार की मानसिक समस्याओं यथा-नशा, तम्बाकू सेवन, अवसाद, एन0सी0डी0 रोगों से बचाव आदि हेतु परामर्श सुविधा उपलब्ध कराना है।
7. नोडल अधिकारी जिला मानसिक स्वास्थ्य प्रकोष्ठ की टीम द्वारा मासिक एवं त्रैमासिक रिपोर्ट के साथ मन-कक्ष से संबंधित सूचनाएं/रिपोर्ट राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्रकोष्ठ को ससमय उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
8. मन-कक्ष हेतु एक मोबाईल फोन, जिसका मूल्य ₹0-1500/- से अधिक नहीं हो, क्रय किया जा सकता है। मोबाईल फोन क्लीनिकल साईकोलाजिस्ट के पास परामर्श कार्यों हेतु रखा जायेगा। अवकाश पर होने की दशा में क्लीनिकल साईकोलाजिस्ट द्वारा मोबाईल फोन अन्य काउंसलर को दिया जायेगा। मोबाईल नं0 एवं अन्य टेलीफोन नं0 का प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए, जिससे लोगों को परामर्श एवं फालोअप की सुविधा प्रदान की जा सकें।

FMR-6.1.1.20.a (Old FMR J.1.4)-Equipments :- इस मद में मनोवैज्ञानिक जॉचों हेतु आवश्यक उपकरणों (Psychological Tools) तथा उपचार हेतु बायो-फीडबैक मशीन इत्यादि का क्रय किये जाने का प्राविधान किया गया है। मेंटल हैल्थ केयर एक्ट, 2017 के अनुसार मुख्य चिकित्साधिकारी एवं जिला चिकित्सालय के प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षकगण यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक दशा में मनोरोगियों के उपचार हेतु समस्त आवश्यक उपकरण चिकित्सालय में उपलब्ध हों। वित्तीय वर्ष 2018-19 में आच्छादित 30 जनपदों हेतु ₹0-01 लाख की धनराशि एवं वित्तीय वर्ष 2017-18 से आच्छादित 45 जनपदों हेतु 05 लाख की धनराशि का प्राविधान किया गया है।

FMR-16.1(Old FMR J.1.5) - Operational expenses of the district centre : rent, telephone expenses, website etc. पर अवमुक्त धनराशि से आपरेशन एक्सपेंस, टेलीफोन इत्यादि के लिये वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु ₹0-10,000.00 की धनराशि का प्राविधान किया गया है।

FMR-16.1(Old FMR J.1.7)- Miscellaneous / Travel / Contingency पर अवमुक्त धनराशि से मिसलेनियस/ट्रैवल/कन्टेजेंसी की व्यवस्था की गयी है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में आच्छादित नये 30 जनपदों हेतु ₹0-50,000.00 की धनराशि एवं वित्तीय वर्ष 2017-18 में संचालित 45 जनपदों में 5.00 लाख की धनराशि का प्राविधान किया गया है।

- (अ) मिसलेनियस एवं कन्टेजेंसी मद से जिला मानसिक स्वास्थ्य प्रकोष्ठ में आवश्यक सामग्री का क्रय एवं अन्य अत्यन्त आवश्यक कार्यों का निष्पादन किया जा सकता है।
- (ब) ट्रैवल के मद में मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत फील्ड विजिट के उपयोगार्थ वाहन की हेतु धनराशि की व्यवस्था की गई है। आउट-रीच कार्यक्रम एवं सामुदायिक-केन्द्र शिविर हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 में प्राविधानित नियम/उपनियमों के अनुसार वाहन की उपलब्धता मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा सुनिश्चित कराई जायेगी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी आउट-रीच कार्यक्रम एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर शिविर के आयोजन हेतु वाहन उपलब्ध कराना प्रत्येक दशा में सुनिश्चित करेंगे।

FMR-11.19.1 & 11.19.2 (Old FMR B.10.6.12.a, B.10.6.12.b)- IEC and Community Mobilization activities for NMHP

इस मद में अवमुक्त धनराशि से आई0ई0सी0 संबंधित गतिविधियों यथा समाचार पत्रों में विज्ञापन, होर्डिंग, बैनर, पोस्टर, पम्पलेट्स, बिल-बोर्ड, लोकवाहनों पर बोर्ड, पैम्पलेट, स्टीकर्स इत्यादि हेतु किया जायेगा। इस मद का उपयोग जन जागरूकता कार्यक्रम आदि हेतु किया जा सकता है। दिनांक-05/07/2018 को सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन महोदय की अध्यक्षता में हुयी बैठक में प्रदत्त निर्देशों के क्रम में आई0ई0सी0 मद में आवंटित धनराशि का शत प्रतिशत उपभोग किया जाना सुनिश्चित करें एवं मुद्रण में किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितताओं हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी एवं संबंधित पटल सहायक उत्तरदायी होंगे। **FMR-11.19.1 & 11.19.2** पर अवमुक्त धनराशि का उपभोग राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 में प्रचलित प्राविधानों के अनुसार ही प्रचार-प्रसार के मुद्रण हेतु किया जायेगा। प्रचार-प्रसार सामग्री हेतु स्पेसीफिकेशन/प्रोटोटाइप दिशा-निर्देश के साथ संलग्न कर प्रेषित किये जा चुके हैं। पुनः अवगत कराना है कि मुद्रण में किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितताओं हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी एवं संबंधित पटल सहायक उत्तरदायी होंगे।

- **FMR-6.2.16.1 Drugs(Old FMR B.16.2.11.5)-** मद पर अवमुक्त धनराशि से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 में प्रचलित प्राविधानों के अनुसार औषधि का क्रय किया जायेगा। राज्य स्तर से प्रेषित सूची के अनुसार औषधियों की उपलब्धता जिला चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर सुनिश्चित किया जाये।

Psychiatric Consultant FMR-8.1.3.2 (Old FMR B.30.3.2)

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, उ०प्र० के अन्तर्गत नव नियुक्त कार्यरत् साइकियाट्रिक कंसल्टेण्ट (मनोरोग विशेषज्ञ चिकित्सक) का मानदेय निम्नानुसार अनुमोदित है :-

1. एम०डी०/डी०एन०बी० (साइकियाट्री)	-	1,20,000.00/माह
2. एम.बी.बी.एस. एण्ड डी०पी०एम०	-	1,10,000/माह
3. एम.बी.बी.एस. (ट्रेन्ड)	-	90,000/माह

Clinical Psychologist FMR-8.1.13.2 (Old FMR B.30.11.2)

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, उ०प्र० के अन्तर्गत नव नियुक्त कार्यरत् क्लीनिकल साइकोलॉजिस्ट का मानदेय रु०-60,000.00/माह की दर से अनुमोदित है तथा वार्षिक वृद्धि हेतु अर्हता रखने वाले क्लीनिकल साइकोलॉजिस्ट को नियमानुसार वार्षिक वृद्धि सहित मानदेय निर्गत किया जायेगा।

Psychiatrist Social Worker FMR-8.1.13.8 (Old FMR B.30.11.4)

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, उ०प्र० के अन्तर्गत कार्यरत् साइकियाट्रिस्ट सोशल वर्कर का मानदेय रु०-50,000.00/माह की दर से अनुमोदित है तथा वार्षिक वृद्धि हेतु अर्हता रखने वाले साइकियाट्रिस्ट सोशल वर्कर को नियमानुसार वार्षिक वृद्धि सहित मानदेय निर्गत किया जायेगा।

Community Level Psychologist FMR-8.1.13.2 (Old FMR B.30.11.17.3)

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, उ०प्र० के अन्तर्गत प्रति जनपद 04 कम्युनिटी लेवल साइकोलॉजिस्ट के पदों का अनुमोदन मानदेय रु०-35,000.00/माह की दर से प्राप्त हुआ है, जिनकी नियुक्ति चिन्हित 08 सामु०स्वा०केन्द्रों में से किन्ही 04 सामु०स्वा० केन्द्रों पर किया जाना है।

Psychiatric Nurse FMR-8.1.1.3.a (Old FMR B.30.1.11)

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, उ०प्र० के अन्तर्गत कार्यरत् साइकियाट्रिक नर्स का मानदेय रु०-40,000.00/माह की दर से अनुमोदित है तथा वार्षिक वृद्धि हेतु अर्हता रखने वाले साइकियाट्रिक नर्स को नियमानुसार वार्षिक वृद्धि सहित मानदेय निर्गत किया जायेगा।

Community Nurse FMR-8.1.1.3.c (Old FMR B.30.1.2)

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, उ०प्र० के अन्तर्गत कार्यरत् कम्युनिटी नर्स का मानदेय रु०-25,000.00/माह की दर से अनुमोदित है तथा वार्षिक वृद्धि हेतु अर्हता रखने वाले कम्युनिटी नर्स को नियमानुसार वार्षिक वृद्धि सहित मानदेय निर्गत किया जायेगा।

Monitoring & Evaluation Officer FMR-16.8.2.3.2 (Old FMR A.10.2.8.5)

वर्ष 2017-18 की द्वितीय अनुपूरक राज्य कार्ययोजना में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, उ०प्र० के अन्तर्गत मॉनिटरिंग एण्ड इवैल्यूेशन ऑफिसर का मानदेय रु०-35,000.00/माह की दर अनुमोदित किया गया है, उक्त मानदेय के अन्तर हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र० के पत्र सं० एस०पी०एम०यू०/एन०सी०डी०/एन०एम०एच०पी०/०५/२०१७-१८/५१६७-४५ दिनांक १३/०८/२०१८ द्वारा धनराशि आवंटित की जा चुकी है तथा वर्ष २०१८-१९ की राज्य कार्ययोजना में भी भारत सरकार द्वारा कार्यक्रम के अन्तर्गत मॉनिटरिंग एण्ड इवैल्यूेशन ऑफिसर का मानदेय रु०-३५,०००.००/माह की दर अनुमोदित किया गया है।

Case Registry Assistant FMR-8.1.15.7 (Old FMR B.30.13.7)

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, उ०प्र० के अन्तर्गत कार्यरत् केस रजिस्ट्री का मानदेय रु०-१५,०००.००/माह की दर अनुमोदित है।

Ward Assistant/Orderlies FMR-8.1.16.7 (Old FMR - B.30.14.3)

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, उ०प्र० के अन्तर्गत कार्यरत् वार्ड अस्तिन्ट का मानदेय रु०-१५,०००.००/माह की दर अनुमोदित है।

अन्य दिशा-निर्देश :-

1. जिला डी०एम०एच०पी० क्लीनिक में प्रशासनिक/वित्तीय नियंत्रण मुख्य चिकित्सा अधिकारी के स्तर से एवं क्लीनिकल कार्यों पर नियंत्रण मुख्य चिकित्सा अधीक्षक का होगा।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला स्वास्थ्य समिति को उपलब्ध कराये गये बजट का उपभोग राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र० में प्रचलित नियमों/उपनियमों के अनुसार करेंगे तथा क्रय-सम्बन्धित कार्य वर्तमान में उपलब्ध क्रय-प्रक्रिया के अनुसार जिला-स्वास्थ्य-समिति के माध्यम से नियमानुसार करेंगे।
3. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक एन०एम०एच०पी० कार्यक्रम के अन्तर्गत ओ०पी०डी० एवं काउंसलिंग की सुविधा जिला चिकित्सालय में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही साथ मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जनपद चिकित्सालय के मेडिसिन विभाग (अथवा अन्य समुचित स्थान) में मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत २० शैय्याओं (१० शैय्या पुरुषों हेतु एवं १० शैय्या महिलाओं हेतु) का चिन्हीकरण भी करेंगे। शैय्याओं के चिन्हीकरण से तात्पर्य यह है कि शैय्याओं के इंचार्ज एम.डी./फिजिशियन ही रहेंगे परन्तु उनके

- मरीज/रोगी जोकि हिस्टीरियो, अवसाद एवं अन्य मनोविकार से पीड़ित होंगे, उन्हें वह उन चिन्हित शैयाओं पर ही भर्ती करेंगे जिससे उन रोगियों को मनोचिकित्सक/मनोवैज्ञानिक को बुलाकर दिखाया जा सकें।
4. मुख्य चिकित्साधिकारी एवं प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, समस्त उ०प्र० का संयुक्त रूप से उत्तरदायित्व होगा कि वह मेंटल हैल्थकेयर एक्ट, 2017 का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें।
5. मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम से संबंधित पत्राचार हेतु एक ईमेल आई०डी० बनवाना सुनिश्चित करें यथा— dmhp(name of District)@..... और राज्य स्तर पर अपना ईमेल आई.डी. उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(पंकज कुमार)
मिशन निदेशक

पत्रांक— एस०पी०एम०यू० / एन०सी०डी० / एन०एम०एच०पी० / 05 / 2018-19 / 6856-75(9) तदुद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ० प्र० शासन।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, लखनऊ, उ०प्र०।
3. वरिष्ठ क्षेत्रीय निदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।
4. समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
5. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र०।
6. समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र०।
7. महाप्रबन्धक, एम०आई०एस०, एस०पी०एम०यू०, एन०एम०एच०एम० को इस आशय से प्रेषित कि पत्र की प्रति एन०एम०एच०एम० वेबसाइट www.upnrhm-gov-in पर अपलोड करने का कष्ट करें।
9. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र०।

ans singh
(डा० ए० बी० सिंह)

उपमहाप्रबन्धक, एन०सी०डी०